

रिपोर्ट: ज़मीर काज़ी । मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने शुक्रवार को सरकार से मांग की कि वह जातिगत जनगणना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करे और इस कार्य हेतु तेलंगाना तथा कर्नाटक जैसे राज्यों का मॉडल अपनाए। टिळक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपकाळने कहा कि जातिगत जनगणना महज आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि एक सामाजिक एजेंडा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में ओबीसी की जनसंख्या वर्तमान अनुमान २७% से बढ़कर ६४% तक पहुंच सकती है। इस जनगणना से समाज के हर वर्ग की सटीक जनसंख्या सामने आएगी, जिससे पाटीदार, गुर्जर और मराठा आरक्षण जैसे जटिल सवालों को हल करने में मदद मिलेगी।



जातिगत जनगणना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करें, तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल अपनाएं-हर्षवर्धन सपकाळ

राहुल गांधी के काफिले को रोकना तानाशाही का प्रतीक

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के निर्णय के लिए बाध्य करने का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और दबाव बनाया, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो' अभियान के तहत विद्यार्थियों से संवाद के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनका

काफिला रोक दिया। सपकाळ ने इस घटना को सत्ता का घमंड बताते हुए कहा कि छात्रों से बातचीत करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन भाजपा की अगुवाई वाली सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानती। उन्होंने इस कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए कहा कि यह घटना नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर सीधा प्रहार है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया के

खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए जाने पर भी हर्षवर्धन सपकाळ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा नेतृत्व उन्हें संरक्षण दे रहा है। सपकाळ ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें फटकार मिली। उन्होंने मांग की कि विजय शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए वार्ड पुनर्रचना की कार्यवाही तत्काल शुरू करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में सितंबर तक चुनाव संभावित

संवाददाता। १५ मई २०२५ मुंबई । राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लटके हुए चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को महानगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों की वार्ड (प्रभाग) रचना की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ६ मई को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चार महीने के भीतर लंबित स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव तय समय पर कराए जाएं और किसी भी प्रकार के विवादों को टालते

हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए। इस संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को सरकार को पत्र जारी कर फेर प्रभाग रचना यानी नए सिरे से वार्डों का निर्धारण शुरू करने को कहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को गति दी जा सके। साथ ही, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए गट (जोन) और गण (वार्ड) रचना भी शीघ्र पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद, राज्य सरकार को महानगरपालिकाओं के वार्डों के पुनर्निर्धारण के साथ-साथ जिला परिषद और पंचायत समितियों के गण-गट की

रचना भी करनी होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य की कई नगरपालिकाओं, खासकर छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व नाम औरंगाबाद) जैसी जगहों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं और वहां प्रशासक नियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए अनुचित ठहराते हुए चार हफ्तों में चुनावी अधिसूचना जारी करने और चार महीनों में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। इन निर्देशों के आलोक में माना जा रहा है कि राज्य में सितंबर २०२५ तक स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे, जिस पर अब जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं।

कोयना बांध परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास और भूमि आवंटन पर जल्द कार्रवाई करें-अजित पवार

रिपोर्ट: ज़मीर काज़ी । मुंबई कोयना बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों ने राज्य के लिए बड़ा बलिदान दिया है। उन्हें वैकल्पिक भूमि देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दिशा में कार्रवाई को तेज करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुणे, सातारा, सांगली और सोलापुर जिलों के जिलाधिकारी संबंधित प्रस्तावों की त्वरित जांच कर जून माह के पहले पखवाड़े तक पुणे मंडलायुक्त को भेजें। अजित पवार मंत्रालय में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभाग के प्रमुख सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव



सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण मंडलायुक्त विजय सूर्यवंशी, श्रमिक मुक्ति दल के अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरण-अभयारण्य प्रभावित संगठन के संयोजक चेतन्य दळवी समेत परियोजना प्रभावितों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मंडलायुक्त प्रस्तावों की जांच कर पात्र प्रभावितों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया तुरंत पूरी करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जून के

पहले पखवाड़े में परियोजना प्रभावित संगठनों के साथ बैठक लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोयना परियोजना से प्रभावितों के पूर्ण पुनर्वास और वैकल्पिक भूमि वितरण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। अब तक सातारा जिले के ३१० और सांगली जिले के २१५ पात्र प्रभावितों की सूची तैयार की जा चुकी है। इनके भूमि आवंटन की कार्यवाही तत्काल की जाएगी। अन्य जिलों के जिलाधिकारी भी अपने जिलों से

संबंधित प्रस्तावों की जांच कर उन्हें मंडलायुक्त को भेजें, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जो मामले शासन स्तर पर निर्णय के लिए होंगे, उन्हें शासन को भेजा जाएगा और उस पर भी तुरंत निर्णय लिया जाएगा। बैठक में पुणे मंडलायुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सातारा जिलाधिकारी संतोष पाटील, सांगली जिलाधिकारी अशोक काकडे और सोलापुर जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।

बिना ब्याज की बैंकिंग

अमेरिका और यूरोपीय देशों में लोकप्रिय और सफल क्यों?

परिचय: बिना ब्याज की बैंकिंग (Interest-Free Banking), जिसे इस्लामी बैंकिंग भी कहा जाता है, अब केवल इस्लामी देशों तक सीमित नहीं रही। यह अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में भी एक सफल और विश्वसनीय वित्तीय विकल्प के रूप में उभर रही है। विशेष बात यह है कि गैर-मुस्लिम समाजों में भी इस बैंकिंग सिस्टम को सराहना मिल रही है, जो इसके नैतिक, पारदर्शी और जनकल्याण आधारित सिद्धांतों की ताकत को दर्शाता है। नैतिक वित्त का वैश्विक रुझान: यूरोप और अमेरिका में हाल के वर्षों में उपभोक्ताओं का झुकाव ब्याज, जुआ, हथियार, शराब और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसायों से हटकर नैतिक निवेश (Ethical Investment) की ओर बढ़ रहा है। इस्लामी बैंकिंग इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है: पारदर्शी समझौते, वास्तविक संपत्तियों पर आधारित निवेश और लाभ-

हानि की साझेदारी। २००८ का वैश्विक वित्तीय संकट: इस संकट ने ब्याज-आधारित बैंकिंग की कमजोरियों को उजागर किया। जबकि बिना ब्याज की बैंकिंग, जो अनिश्चित समझौतों और सूद से बचती है, अपेक्षाकृत स्थिर रही। इसके बाद कई पश्चिमी विशेषज्ञों ने इस्लामी वित्तीय सिद्धांतों को सुरक्षित और विवेकपूर्ण माना। गैर-मुस्लिम उपभोक्ताओं की रुचि: -l Rayan Bank (UK) जैसे इस्लामी बैंकों के उपभोक्ताओं में बड़ी संख्या में गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं। कारण? पारदर्शिता, निश्चित लाभ दर, और अनैतिक व्यापार से दूरी। ये बैंक उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, छिपे हुए शुल्क और भारी दंड से बचाते हैं। निश्चित लाभ मॉडल की लोकप्रियता: इजारा, मुराबाहा, और मुजाराबा जैसे मॉडल में लाभ दर पहले से तय होती है, जिससे उपभोक्ताओं को वित्तीय योजना बनाने



में सुविधा मिलती है। विशेष रूप से हाउस फाइनेंस में अमेरिका का Guidance Residential जैसे संस्थानों ने शरीअत-अनुरूप मॉडल लागू कर के आम अमेरिकियों को वैकल्पिक व्यवस्था दी। सरकारों का सहयोग: ब्रिटेन सरकार ने Islamic Finance Task Force की स्थापना की ताकि लंदन को इस्लामी वित्त का केंद्र बनाया जा

सके। यूरोपीय विश्वविद्यालयों में इस्लामी बैंकिंग पर कोर्स और अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका में इस्लामी हाउसिंग योजनाओं और निवेश फंडों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): बिना ब्याज की बैंकिंग उन वर्गों को

वित्तीय व्यवस्था में शामिल करती है जो सूद आधारित प्रणाली से दूर रहते हैं - जैसे धार्मिक सिद्धांतों के पक्के अनुयायी मुस्लिम या नैतिक मूल्य रखने वाले अन्य समूह। क्रिप्टो और डिजिटल वित्त के साथ तालमेल: इस्लामी बैंकिंग अब ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और फिनटेक मॉडल के साथ प्रयोग कर रही है ताकि डिजिटल युग में भी शरीअत के अनुसार, ब्याज-मुक्त वित्तीय सेवाएं दी जा सकें। भारत में बिना ब्याज की बैंकिंग का अनुभव: भारत में भी कुछ प्रयोग हुए हैं: मीज़ान फाइनेंस (केरल): स्थानीय स्तर पर शरीअत-आधारित लघु वित्त सेवा प्रदान करता है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र: कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ब्याज-मुक्त या सीमित शुल्क आधारित वित्तीय समूह कार्यरत हैं। स्टार्टअप्स और एनजीओ: कई संगठन गरीबों को कर्ज़-ए-हसना (बिना ब्याज

ऋण) देते हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। शरीअत फंड्स: म्यूचुअल फंड कंपनियाँ जैसे Taurus Ethical Fund, Reliance Shariah Fund आदि विशेष रूप से ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं जो शरीअत के अनुरूप हों। अमेरिका और यूरोपीय देशों में बिना ब्याज की बैंकिंग की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यह प्रणाली केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक, नैतिक और स्थायी आर्थिक मॉडल है। जहाँ सूद आधारित बैंकिंग अपना भरोसा खो रही है, वहीं इस्लामी वित्तीय प्रणाली पारदर्शिता, विश्वास और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित नई उम्मीद बन रही है। यह व्यवस्था केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आकर्षण रखती है जो न्याय, नैतिकता और ज़िम्मेदारी आधारित अर्थव्यवस्था चाहता है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

ऐतिहासिक फैसला : ना. पंकजा मुंडे की मौजूदगी में पशुसंवर्धन अधिकारियों का समुपदेशन के आधार पर तबादला समुपदेशन से तबादलों की प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी-ना.पंकजा मुंडे

पुणे । १५ मई राज्य की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजा मुंडे ने पशुसंवर्धन विभाग में भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समुपदेशन के आधार पर तबादलों का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत आज पुणे में पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालय में स्वयं उनकी उपस्थिति में हुई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लिया गया है और भविष्य में भी यह व्यवस्था कायम रखी जाएगी।

ना. पंकजा मुंडे ने कहा, मैं एक बार फिर इतिहास बनते देख रही हूं और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनकर मुझे

अत्यंत आनंद हो रहा है। मैंने यह निर्णय लिया है ताकि अधिकारियों को मनपसंद स्थान पर पदस्थापना मिल सके और ग्रामीण स्तर पर मेहनत करने वाले सामान्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ सके।

राज्यभर में मानव संसाधनों का संतुलन बनाए रखने और स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शिता से लागू करने के लिए पशुधन विकास अधिकारी तथा सहायक आयुक्त संवर्ग के तबादले समुपदेशन के आधार पर करने का निर्णय हाल ही में लिया गया था। इस अवसर पर विभाग के सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीण कुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतल मुकणे भी उपस्थित थे।

पूर्व में ग्रामविकास मंत्री रहते हुए भी



ना. मुंडे ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों का निर्णय लिया था, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के शिक्षक लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा, मुझे 'आउट ऑफ बॉक्स' निर्णय लेना पसंद है, और इसी सोच के साथ मैंने यह नया निर्णय लिया है। एक बार लिया गया निर्णय मैं बदलती नहीं, इसलिए यह प्रक्रिया स्थायी रहेगी।

उन्होंने आगे कहा, मेरे पिताजी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कहा करते थे कि जिनके

पास न पैसा है न पहचान, उनके लिए मैं राजनीति में हूं। मैं उनके इसी आदर्श को आगे बढ़ा रही हूं। अधिकारियों को मनपसंद स्थान पर भेजना मेरे लिए एक सामाजिक न्याय है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से वर्षों से आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देने वाले ११८ अधिकारियों और सामान्य क्षेत्रों में कार्यरत ४४४ अधिकारियों को समुपदेशन के माध्यम से उनकी पसंद की पोस्टिंग दी गई। इससे विभाग में खुशी और संतोष का माहौल है।

कुछ अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया-

मैं यवतमाल जिले का निवासी हूं, और मेरी पहली पोस्टिंग २०२२ में त्र्यंबकेश्वर में

हुई थी। मैंने आदिवासी क्षेत्र में तीन वर्ष सेवा दी। अब मुझे अपने जिले में नियुक्ति मिली है, जिससे मुझे अत्यंत खुशी हुई है। यह निर्णय हमारे जैसे अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक है।

वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा, मैं सिरोंचा तालुका में कार्यरत थी, जो तेलंगाना सीमा पर है। यहां तेलुगू बोली जाती है और मुझे वह भाषा आती है। स्थानीय लोग कहते थे कि मेरे स्थानांतरण के बाद उनका क्या होगा। लेकिन अब मैं वहीं रह रही हूं। मुझे मनचाहा स्थान मिला है और इससे लिए मंत्री महोदया ना. पंकजा मुंडे का दिल से धन्यवाद देती हूं।

समुपदेशन की यह प्रक्रिया कल यानी १६ मई को भी जारी रहेगी।

शिक्षा पर परिचर्चा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुटें: दिलदार बैग का अल्पसंख्यक समाज से आह्वान

स्वर्गीय आरिफ बैग की स्मृति में आयोजित होगा कार्यक्रम । २० मई को डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति

। नई दिल्ली (तामीर न्यूज) नई दिल्ली, १५ मई २०२५: विश्व भाईचारा मिशन भारत की ओर से अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पर परिचर्चा विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन २० मई को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (भीम), १५ जनपथ में शाम ५ से ७ बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय सड़क

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मा. नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यह कार्यक्रम स्व. आरिफ बैग की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारियों को लेकर भाईचारा मिशन के दिल्ली प्रदेश कार्यालय, पालम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाईचारा मिशन दिल्ली प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमटी के चेयरमैन दिलदार



बैग ने अपील की कि मा. नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में संपन्न होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बने, इसके लिए हम सभी को आज से ही पूरी निष्ठा और

प्रतिबद्धता के साथ कार्य में जुट जाना चाहिए।

बैठक की अध्यक्षता कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हाजी शेख अब्दुल करीम

ने की, जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। इस बैठक में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में -खण्ड के पूर्व कमिश्नर एस. पी. राय, समन्वयक डॉ. बिलाल शबगा, आयोजन समिति के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलवंत सिंह सोलंकी, गुरु रामदास जी महाराज तथा लाल साहब समेत कई गणमान्य उपस्थित थे।

शेख अर्शिया शफ्फार ने नाथापूर का नाम किया रेशन

मदीना ज्वेलर्स और तुलसी नैचरोपैथी क्लिनिक की ओर से बाप-बेटी का आत्मीय सत्कार



रिपोर्ट: बीड प्रतिनिधि बीड । जिले के बीड तालुका स्थित ग्रामीण क्षेत्र नाथापूर की छात्रा

विद्यालय और परीक्षा केंद्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार उपलब्धि पर नाथापूर के प्रतिष्ठित मदीना ज्वेलर्स के संचालक शेख अयाज नाथापूरकर और तुलसी नैचरोपैथी क्लिनिक के डॉ. शेख एनाज़ नाथापूरकर की ओर से शेख अर्शिया और उनके पिता शेख शफ्फार का आत्मीय सत्कार किया गया।

सत्कार समारोह के अवसर पर डॉ. एजाज़ ने कहा, अर्शिया ने ९८.००% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय, बल्कि अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह सफलता उसकी निरंतरता, लगन, मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उसकी उपलब्धि से पूरे गांव में आनंद का वातावरण है और परिवार, रिश्तेदारों के साथ-साथ विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा भी उसे बधाइयाँ दी जा रही हैं।

ऑल इंडिया ओबीसी संगठन की ओर से खुशींद आलम का सत्कार



रिपोर्ट: बीड प्रतिनिधि बीड । बीड जिले में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की कई उप-जातियाँ और घुमंतू विमुक्त जातियाँ मौजूद हैं, जो ओबीसी वर्ग में शामिल हैं। सरकार ने इन वर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, उद्योग, नौकरियों और राजनीति सहित कई क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं। हालांकि, जागरूकता की कमी के कारण इन समुदायों को अपने अधिकार की सुविधाएँ पूरी तरह नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे ही समाज के बीच समरसता के साथ काम कर उन्हें उनके हक दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाले बीड नगरपरिषद के पूर्व सभापति खुशींद आलम को हिंदू-मुस्लिम

ओबीसी विमुक्त घुमंतू जाति समाज संघटना के शहराध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित चुना गया है। यह नियुक्ति संगठन के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण जाधव द्वारा की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से खुशींद आलम के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी संगठन के बीड जिलाध्यक्ष शेख जाकेर साहब, शहराध्यक्ष खालेद साहब, शेख फ़िरोज भाई, मोमीन शाफ़े, सैयद नबील उज्जमा, हकीम मन्थार, सलाम सेठ, वज़ीर अत्तार, एजाज इनामदार, नायाजी सर, शेख मोहसिन, अब्बास इनामदार, रफीक कुरेशी समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

विद्रोही आंबेडकरी जलसा कार्यक्रम को मिला जोरदार प्रतिसाद

बीड (प्रतिनिधि): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बीड शहर स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में 'विद्रोही आंबेडकरी जलसा' नामक भीमगीत प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सम्यक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा बहुजन विकास मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रशांत ससाणे द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को भीमप्रेमियों का उत्साही प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इस प्रबोधनात्मक भीमगीत जलसे ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

इस जलसा का उद्घाटन बहुजन विकास मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष बाबूराव पोटरभरे के हाथों हुआ। इस अवसर पर अरुणाताई आठवले, श्रीहरी मोरे, राजेश साठवले, नवनाथ धार्डजे, बाबासाहेब वाघमारे, आर.एस. गावकवाड, रवी वाघमारे, महेंद्र शिंदे,

विजय आगलावे और जय तंगडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

भीमगीत जलसा की शुरुआत प्रवीण खाडे, धर्मा मुक्तीवादी, सिद्धार्थ प्रतिभावंत और उनकी टीम जागर समतेचा' ने प्रभावशाली गायन के साथ की। फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी देशाला नटवलं, जग बदल घालुनी घाव...' और भीमाचं पिळू जागं असावं' जैसे प्रबोधनात्मक गीतों को श्रोताओं की भरपूर सराहना मिली और इन गीतों के माध्यम से भीमप्रेमियों का दिल जीत लिया गया।

इस सफल आयोजन के लिए शांतदूत घोडके, वैभव वाघमारे, सचिन ससाणे, रोहन साठवले, अशोक हुंबरे, सिद्धार्थ जोगदंड, विकी कांबळे और प्रफुल्ल गायकवाड ने विशेष मेहनत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीमप्रेमी उपस्थित रहे और उन्होंने जलसे का भरपूर आनंद लिया।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हेतु वैधता प्रमाणपत्र की समयसीमा में १२ माह की वृद्धि

रिपोर्ट: ज़मीर क़ाज़ी । विशेष प्रतिनिधि । मुंबई ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों जैसी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अब जाति प्रमाणपत्र और जाति सत्यापन समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस प्रमाणपत्र को जमा करने की समयसीमा में अब १२ महीने की अस्थायी वृद्धि की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा संबंधित अध्यादेश जारी कर दिया गया है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र

और वैधता प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होता है। हालांकि, कई बार उम्मीदवार समय पर आवेदन करने के बावजूद सत्यापन समिति पर कार्यभार अधिक होने के कारण प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पाता। इस कारण से, कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय पर प्रमाणपत्र न मिलने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

इस समस्या को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष २०२३ में एक विशेष अधिनियम महाराष्ट्र (ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों की विशिष्ट चुनावों हेतु) वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अस्थायी समयवृद्धि अधिनियम २०२३ के अंतर्गत १२ माह की अतिरिक्त समयसीमा दी थी।

हालांकि, वर्तमान में भी ११,०००

से अधिक सदस्यों के आवेदन जाति सत्यापन समिति के पास लंबित हैं। केवल प्रमाणपत्र देर से मिलने के कारण उन्हें उनके पद से हटाए जाने की आशंका बनी हुई है। यह स्थिति न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। इसी के मद्देनज़र, सरकार ने पुनः १२ माह की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे संबंधित जनप्रतिनिधि अपना वैधता प्रमाणपत्र जमा कर सकें। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि जाति सत्यापन समिति द्वारा प्रमाणपत्र समय पर न मिलने की स्थिति में किसी भी निर्वाचित सदस्य को उनके पद से वंचित न किया जाए। इसी उद्देश्य से यह अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है।

मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जलगांव का शानदार परिणाम



रिपोर्ट: अब्दुल वहीद जुनैदी । जलगांव जलगांव । १३ मई २०२५ को एस.एस.सी बोर्ड द्वारा घोषित ऑनलाइन परिणाम में जलगांव के प्रतिष्ठित और शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल ने कुल ११.५१% का उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किया।

इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने वाले छात्रों में अर्शिया अंजुम मर्सलीन ने ८९.९०% अंक प्राप्त कर स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। सादिया खलील ने ८७.८०% अंकों के साथ दूसरा स्थान और सायमा जुबैर ने ८७.२०% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं उर्दू मीडियम में मसीरा खालिद ने

८५.४०% अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। कल्सूम खुशींद ने ८३.६०% अंकों के साथ दूसरा और अल्लिया असलम ने ८२.४०% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यालय की इस शानदार उपलब्धि पर अंजुम तालीमुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हाजी एजाज अब्दुल गफ्फार मलिक, उपाध्यक्ष सैयद चाँद सैयद अमीर, जनरल सेक्रेटरी हाजी अमीन भाई बादलीवाला, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. शेख बाबूसर, उपप्रधानाचार्य फारूक अमीर सर और पर्यवेक्षक नईम बशीर सर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत की सराहना की तथा इस सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।